

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय मध्यप्रदेश
पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नम्बर-3, भोपाल- 462001
ई-मेल -dir.socialjustice@mp.gov.in
// आदेश //

19-12-2025

क्रमांक/2025/I/682438/2025

अस्थाई दिव्यांगता प्रमाण-पत्र वाले दिव्यांगजनों को पेंशन योजनाओं एवं अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाये अथवा नहीं ? इस संबंध में समय-समय पर सी.एम./सी.एस. समाधान ऑनलाईन में दर्ज प्रकरणों एवं जिला कार्यालय द्वारा चाहे गये मार्गदर्शन के परिपेक्ष्य में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/सामा. सहा. 03/I/310242/2025 दिनांक 17.06.2025 द्वारा अस्थाई दिव्यांगता प्रमाण-पत्र वाले दिव्यांगजनों को नौकरी में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अस्थाई दिव्यांगता प्रमाण-पत्र वाले दिव्यांगजनों को पेंशन योजनाओं एवं अन्य योजनाओं में लाभ दिया जाना संभव नहीं है, संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं ।

उपरोक्त संबंध में भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक 1272 दिनांक 12 मार्च 2024 से दिव्यांगताओं की सीमा का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए जारी मार्गदर्शी सिद्धांत के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ है कि सेरेब्रल पॉल्सी, बौद्धिक दिव्यांगजनों, ऑटिज्म एवं बहुदिव्यांग श्रेणी के दिव्यांगजनों को दिव्यांगता की अवस्था में समय के साथ सुधार होने की संभावना के दृष्टिगत स्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र 18 वर्ष की आयु के पश्चात ही जारी किये जाने का उल्लेख है।

अतः उपरोक्तानुसार भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) नई दिल्ली की अधिसूचना के परिपेक्ष्य में मात्र सेरेब्रल पॉल्सी, बौद्धिक दिव्यांगजनों, ऑटिज्म एवं बहुदिव्यांग श्रेणी के दिव्यांगजनों को अस्थाई दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर 18 वर्ष की आयु तक पेंशन योजना का लाभ दिये जाने के संबंध में शिथिलता प्रदान की जाती है। शेष श्रेणी के दिव्यांगजनों को स्थाई प्रमाण पत्र के आधार पर ही पेंशन भुगतान की जायेगी।

(सोनाली पोंक्षे वायंगणकर)

आयुक्त

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/I/682438/2025

19-12-2025

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण ।
2. आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संचालनालय मध्यप्रदेश।
3. श्री योगेश सिंह, एनआईसी, मध्यप्रदेश की ओर उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने का अनुरोध है।
4. निज सचिव, आयुक्त सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ।
5. समस्त, कलेक्टर मध्यप्रदेश ।
6. समस्त आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. निगमसमस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण मध्यप्रदेश